

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

वाद पत्र संख्या 2/2019

निर्णय दिनांक :- 13.7.20

उनवान

1. झूमा देवी पत्नि श्री प्रहलाद मीना जाति मीना, निवासी- ग्राम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदाय जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र कल्याण
2. कन्हैया लाल पुत्र कल्याण
3. हरकेश पुत्र कल्याण
4. तीजा पुत्री कल्याण
5. रामकन्या पुत्री कल्याण
6. संतरा पुत्री कल्याण
7. रामप्यारी बेवा कल्याण

समस्त जांति मीना, निवासी श्री संपतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज.।


8. सरकार जरिये तहसीलदार साहब कोटखावदा, जिला जयपुर
9. उपपंजीयक शाखा कोटखावदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)




दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा  
88, 53 व 188 राज0 टेनेन्सी एक्ट

वादिया की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी सं. 01 से 03, 06 व 07 के पिता व 05 के पति कल्याण पुत्र पांचू मीना निवासी— संपतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर के नाम खातेदारी आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.91 है0, खसरा नंबर 163/372 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 171 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 269/403 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 270 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 271 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 322 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 323 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 330/417 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 333/425 रकबा 0.04 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 2.57 है0 भूमि वाके ग्राम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है। कल्याण पुत्र पांचू मीना ने अपनी खातेदारी भूमि में से खसरा नंबर 270 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 271 रकबा 0.52 है0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.55 है0 भूमि वाके ग्राम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर का बेचान दिनांक 29.04.2010 को कर दिया था किन्तु कल्याण के नाम से बैंक का ऋण होने के कारण वादिया के नाम नामान्तकरण नहीं खुल सका। यह कि उक्त आराजी पर बैंक का ऋण होने की वजह से वादिया अपने नाम से नामान्तकरण नहीं खुला सकी। वादिया द्वारा बार बार प्रतिवादीगण के पिता/पति से निवेदन किया कि आप उक्त भूमि पर जो बैंक का ऋण बकाया है उसको जमा करवा दो—ताकि मैं अपने अपने

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
21 Page


नाम से आपके द्वारा बेची गई आराजी का नामान्तकरण खुलवा संकू। लेकिन प्रतिवादीगण के पिता प्रति ने बार बार वादिया को आश्वासन देते रहे कि मैं शीघ्र ही उक्त आराजी का बैंक ऋण जमा करवा दूंगा तथा कहा कि मैंने आपके नाम विक्रय पत्र का पंजीयन तो करवा ही दिया है नामान्तकरण भी खुलवा दूंगा। इस प्रकार प्राथीया ने प्रतिवादीगण के पिता/पति पर विश्वास कर लिया। जब प्रतिवादीगण के पिता/पति की मृत्यु दिनांक 12.12.2018 को गई जिनके विधिक वारिसान, उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण ही है इनके अलावा अन्य कोई और विधिक वारिसान नहीं है तब वादिया ने कहा अप्रार्थगण से कहा कि आप मेरे नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण खुला दो तो प्रतिवादीगण ने वादिया को धमकी दी कि अब हमारे पिता/पति की मृत्यु हो गई है हम उक्त आराजी के विरासत का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवा कर उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर देंगे और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड पायेगी क्योंकि नामान्तकरण के पश्चात उक्त आराजी भूमि हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जायेगी। इसलिये वादिया के लिये आवश्यक हो गया कि वह विरासत के नामान्तकरण से पूर्व अपने नाम उक्त बेचान की गई आराजी भूमि को नामान्तकरण खुलावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिसकी वादिया कानूनन अधिकारी है। व वादिया खसरा नम्बर 270 व 271की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है। वादिया वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर अपना जीवन निर्वहन करती आ रही है। उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई जीविकापार्जन करने का साधन नहीं है। दिनांक 31.12.2018 को प्रतिवादीगण मय दीगर व्यक्तियों को लेकर आये तथा सरेआम जमीन

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
31


दिखा रहा था। तब वादिया ने विरोध किया तो कहा कि हम शीघ्र ही उक्त आराजी का विरासत नामान्तकरण अपने नाम खुलवा कर उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर देगे। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। वादिया के लिये आवश्यक हो गया कि वो विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के पिता/पति द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.4.2010 को बेचान की गई आराजी भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाये तथा वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा साथ ही वादिया के हिस्से का विधिवत तकासमा किया जाकर भौतिक कब्जा संभलाया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वो वादिया के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी एवं मजाहमंत पैदा न करे, ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य से करावे। वादिया के लिये वाद कारण दिनांक 31.12.2018 को प्रतिवादीगण मय दीगर व्यक्तियों को लेकर जमीन दिखाने पर तथा जबरन बेदखल करने की धमकियाँ देने पर उत्पन्न हुआ। जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 08 भूमिधारी होने से प्रतिवादी संख्या 9 उपपंजीयक शाखा होने पर पक्षकार बनाया गया है दावे में इनके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही गई है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को हासिल है। वाद वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित खसरा नम्बर 270 रकबा 0.03 है०, खसरा नंबर 271 रकबा 0.52 है० कुल किता 02 कुल रकबा 0.55 है० भूमि वाके ग्राम, श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर का अपने

नाम से नामान्तकरण खोलकर खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे, वादिया के हिस्से का विधिवत तकासमा किया जाकर अलग से पर्चा कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पबान्द किया जावे कि वो वादिया के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलंदाजी एवं मजामहत पैदा नही करे, ना जबरन कब्जा करे, ना ही भूमि का बेचान करे ना स्वयं करे ना अन्य से करावे। दावा वकील वादी द्वारा पेश किया जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी तो प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की तरफ से वकील हाजीर आया व दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया कि :-

वाद पत्र की मद सं. 1 में कल्याण से प्रतिवादीगण के जो संबंध बताये गये है वह गलत बताये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 7 के पिता कल्याण नही है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 7 के पति है। कल्याण प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता है। यह सही है कि इस मद मे वर्णित खातेदारी भूमि स्थित ग्राम श्रीसम्पतपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर की खातेदारी कल्याण के नाम है परन्तु यहा यह वर्णित किया जाना आवश्यक है कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमे कल्याण के समान ही प्रतिवादी संख्या 1 से 6 मालिक एवं स्वामी है तथा कल्याण की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 7 मालिक है। वाद पत्र की मद सं. 2 असत्य है, अस्वीकार है। कल्याण पुत्र पांचू के द्वारा दिनांक 29.11.2010 को किसी भी व्यक्ति को बेंचान नही किया गया तथा ना ही इस मद में कही यह वर्णित किया गया है. कि कल्याण ने किस व्यक्ति को जमीन का बेचान किया। यहा यह

  
उपखण्ड अधिकारी  
51  
चाकसू (जयपुर)

वर्णित किया जाना भी आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति होने के कारण कल्याण को 0.55 है भूमि बेचने का कोई विधिक अधिकार भी प्राप्त नहीं था। कल्याण के द्वारा वादिया को कोई भूमि विक्रय नहीं की गई कल्याण के द्वारा अपने जीवन काल में कभी यह नहीं बताया गया कि उसके द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र किया गया है। कल्याण के द्वारा दिनांक 29.11.2010 को कोई विक्रय पत्र झूमा देवी के नाम नहीं करवाया गया, ना ही कल्याण के हस्ताक्षर अगूठा निशानी है, ना ही कोई राशि अदा की गई। इसके अलावा अगर वादिया के कथन को एक बार के लिये मान भी लिया जावे तो कल्याण के द्वारा उक्त भूमि पर लोन किस प्रकार लिया गया। विक्रयशुदा भूमि पर लोन लेने के बाबत वादिया के द्वारा कल्याण के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। उक्त समस्त तथ्य तथाकथित विक्रय पत्र को मिथ्या एवं कूटरचित साबित करते हैं। वादिया के मिथ्या दावे के कारण प्रतिवादीगण का विरासत का नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है। जिस कारण वादिया का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद संख्या 3 असत्य है, अस्वीकार है। वर्ष 2010 में वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई लोन नहीं था तथा वर्ष 2010 से 2019 तक वादग्रस्त सम्पत्ति कई वर्षों तक लोन मुक्त रही है एवं विक्रय पत्र तथा नामान्तकरण हुये हैं, परन्तु वादिया के द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही इस कारण नहीं की गई कि उक्त तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2010 मिथ्या एवं कूटरचित विक्रय पत्र था। इस कारण वादिया के द्वारा उक्त वर्णित कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर कल्याण के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वादिया को इस बात का डर था कि अगर कल्याण के जीवन काल में

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही की जायेगी तो वादिया को जेल जाना पड सकता है। इसके बाद दिनांक 12.12.2018 को कल्याण की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त विक्रय पत्र को सामने लाया गया है। जो कि: विक्रय पत्र को मिथ्या एवं कूटरचित साबित करता है। उक्त विक्रय पत्र पर कल्याण के हस्ताक्षर नहीं है। ना ही कल्याण को कोई राशि अदा की गई है। इस कारण वादिया ना तो नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है तथा ना ही स्थगन प्राप्त करने की अधिकारी है। वाद पत्र की मद संख्या 4 असत्य है, अस्वीकार है। इस मद मे वादिया के द्वारा दिनांक 12.12.2018 को नामान्तकरण खुलवाने के लिये प्रतिवादीगण से कहने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादिया को धमकी देने का वर्णन किया है। जबकि 12.12.2018 को प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के दिन इस प्रकार की घटना घटित होना सामान्य रूप से संभव नहीं है। इस कारण वादिया का वाद पत्र असत्य तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद संख्या 5 असत्य है, अस्वीकार है। वादग्रस्त सम्पति पर वादिया का ना तो कभी कब्जा था ना ही कभी रहा है। बल्कि वादग्रस्त सम्पति पर अपने पिता के जीवन काल से प्रतिवादीगण का कब्जा रहा है तथा प्रतिवादीगण खेतीबाडी करते चले आ रहे हैं। दिनांक 31.12.2018 को वाद पत्र मे वर्णित कोई घटना घटित नहीं हुई, क्योकि प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु को हुये 20 दिन भी पूरे नहीं हुये थे। प्रतिवादीगण गहरे दुख में थे। वादिया के द्वारा वाद पत्र को रंग देने के लिये उक्त घटना का वर्णन किया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

वाद पत्र की मद संख्या 6 असत्य है, अस्वीकार है।  
विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2010 मिथ्या एवं अवैध विक्रय पत्र है। जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण के द्वारा विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।  
वादिया ना तो स्वयं को खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है, ना ही नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है। वादिया मिथ्या एवं कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर केवल मात्र स्थगन प्राप्त कर मिन प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करके रूपये ऐठना चाहती है। जबकि वादिया उक्त कार्यवाही 135(2) रा0भू0 राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जी के समक्ष कर सकती थी परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। जो कि वादिया की चालाकी को साबित करता है।  
वाद पत्र की मद संख्या 7 असत्य है, अस्वीकार है। वादिया को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि दिनांक 31.12.2018 को किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुई। वादिया के द्वारा केवल अपने वाद को रंग देने के लिये उक्त घटना का वर्णन किया है। इस कारण वादिया का वाद खारिज किये जाने योग्य है।  
वाद पत्र की मद संख्या 8 के जवाब में निवेदन है कि जब प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के खिलाफ कोई रिलिफ ही नहीं है तो उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण में मिस जाईन्डर ऑफ पार्टीज से ग्रसित है। वाद पत्र की मद संख्या 9 कानूनी होने के कारण जवाब की मोहताज नहीं है। नामान्तकरण की कार्यवाही तहसीलदार जी द्वारा की जाती है, ना कि माननीय न्यायालय के द्वारा।  
वाद पत्र की मद संख्या 10 असत्य है, अस्वीकार है। वादिया का वाद मियाद बाहर है। वादिया माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकस (जयपुर)

जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वाद विशेष हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावा पेश होने पर दावा जवाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :-

1. आया आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 0.03 है0 खसरा नम्बर 271 रकबा 0.52 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 है0 भूमि वाके ग्राम श्री सम्पतपुरा का विक्रय कल्याण पुत्र पांचू मीणा द्वजारा दिनांक 29.04.2010 को वादिया को कर कब्जा दे दिया था।

—जिम्मे वादीगण

2. आया वादिया उक्त विक्रय पत्र के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 270, 271 की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है।

— जिम्मे वादीगण

3. आया वादिया प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की अधिकारी है।


— जिम्मे वादीगण

4. आया वादिया उक्त भूमि का तकासमा करवाकर अलग खाता करवाने की अधिकारी है।

— जिम्मे वादीगण

5. आया वादग्रस्त सम्पत्ति पुश्तैनी सम्पत्ति होने के कारण कल्याण का विशिष्ट खसरा नम्बर में से 0.55 है0 भूमि बेचने का अधिकार नहीं है।

— जिम्मे प्रतिवादीगण

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाणसू (जयपुर)

6. आया 29.11.2010 का विक्रय पत्र कूटरचित एवं नौमयशी विक्रय पत्र होने के कारण कल्याण के जीवन काल में सामने नहीं लाया गया।

— जिम्मे प्रतिवादीगण


7. आय माननीय न्यायालय को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं बल्कि वादिया को 135(2) रा0 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिये।

— जिम्मे प्रतिवादीगण

8. आया वादिया को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

— जिम्मे प्रतिवादीगण


तनकीयात काम की जाकर पत्रावली साक्ष्य में लगायी गयी तो साक्ष्य वादी के गवाह को शपथ पत्र झूमा देवी, राधाकिशन, छोटू, श्रीला, बृजमोहन, के शपथ पत्र पेश किये गये व शपथ पत्रों की प्रति वकील प्रतिवादी को दी गयी किन्तु चार अवसर वकील प्रतिवादी को जिरह हेतु दिया गया किन्तु जिरह नहीं की गयी दिनांक 20.02.2020 को 300/- कोस्ट पर अवसर देने पर भी प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह नहीं करने एवं दिनांक 26.02.2020 को प्रतिवादी वकील हाजीर नहीं होने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दावा बहस में लगाया जाकर बहस वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गयी तो वकील वादी की ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि कल्याण पुत्र पांचू मीणा में अपनी खातेदारी भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 29.04.2010 को बेचान कर दी गयी थी किन्तु कल्याण के नाम बैंक ऋण होने से कल्याण द्वारा की गयी भूमि

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू 1 (जयपुर)

का नामान्तकरण वादी के हक में नहीं खोला जा सका एवं दिनांक 12.12.2018 को विक्रेता कल्याण पुत्र पांचू मीणा की मृत्यु होने पर कल्याण पुत्र पांचू मीणा के विधिक वारिसान प्रतिवादीगण ही है। अतः मुताबिक विक्रय पत्र दावा वादी डिकी किया जाकर वादीगण के हक में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

वादीगण ने दावे के समर्थन में श्री सम्पतपुरा की जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता संख्या 3 2064-67 के खाता संख्या ..... विक्रय पत्र दिनांक 29.04.2010 एवं गवाह राधाकिशन, झूमा देवी, श्रीला, छोटू, बृजमोहन के शपथ पत्र बतौर दस्तावेज पेश किये है।

वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात दावा, जवाब दावा एवं गवाहों के बयानों का परीक्षण किया गया तो दावा वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 270 रकबा 0.03 है 271 रकबा 0.52 है 2 रकबा 0.55 है वाके ग्राम श्रीसम्पतपुरा की कल्याण पुत्र पांचू मीणा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत 2061-67 एवं 2072-75 में थी जिसे कल्याण पुत्र पांचू मीणा ने जरिये विक्रय पत्र 29.04.2010 को द्वजरा श्रीमती झूमा देवी पत्नि प्रहलाद मीणा श्री सम्पतपुरा को बेचान की गयी थी किन्तु कल्याण के नाम से बैंक ऋण होने के कारण वादिया अपने नाम नामान्तकरण नहीं खुलवा सकी बेचान कर्ता कल्याण पुत्र पांचू का स्वर्गवास दिनांक 12.12.2018 को हो गयी जिसके विधिक वारिसान उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण ही है। क्रेता गवाहों के शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र के अनुसार जमीन क़य की तब से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काशत है एवं निरन्तर काशत करते आ रहे है। इस प्रकार वादिया द्वारा क़य शुदा भूमि पर काबिज काशत होने व

  
उपखण्ड अधिकारी  
11  
जाकर (जिरीया)

विक्रय पत्र 29.04.2010 एवं गवाहों के बयानों के आधार पर दावा वादिया डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 0.03 है 271 रकबा 0.52 है 2 रकबा 0.55 है वाके ग्राम सम्पतपुरा तहसील कोटखावदा का विक्रय पत्र 29.04.2010 के आधार पर खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर वादिया के हक में नामान्तकरण खोले जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
13.7.20  
चाकसू

नाई फादरा दि. 10.3.20 के कउसाट आदेश के डिक्री  
के फिसाल नं 2/18 के खजाफ 2/18 शुद्ध किया जाता  
4 व अमल नं 2/18 पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (सियपुर)